न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

पीठासीन अधिकारी:– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0

मि0 नं0 293 / 2021 ता0 रजू 17.08.2021

उनवान

1. किशनलाल पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुखनिवासपुरा।
2. पांचू पि0 काना जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुखनिवासपुरा।
3. सुखदेव पि0 काना जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुखनिवासपुरा।
4. सुवालाल पि0 काना जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुखनिवासपुरा।
5. अम्बालाल पुत्र मूल्या जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
6. उदया पुत्र लाला जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
7. कन्या पुत्री लाला जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
8. कैलाशी पत्नी रतनलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुखनिवासपुरा।
9. काना पि0 लाला जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
10. भंवरलाल पि0 लाला जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
11. प्रेमचन्द पुत्र श्योजी जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. बजरंगा पुत्र सूज्या जाति गूजर निवासी सुखनिवासपुरा।
2. नायब तहसीलदार / उपपंजीयक बरवास।

–अप्रार्थीण–

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–

1. श्री मोहम्मद इस्लाम अधि0 प्रार्थीगण।
2. श्री पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक:–22.03.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी वाके ग्राम सुखनिवासपुरा में स्थित हैं। प्रार्थी नं0 1 ल0 4 की आराजी खसरा नं0 150 रकबा 1.34 है0, प्रार्थी नं0 5 ल0 10 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं0 151 रकबा 0.36 है0, 152 रकबा 0.32 है0, 152 / 250 रकबा 0.37 है0 किता 3 रकबा 1.05 है0 प्रार्थी नं0 11 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं0 149 रकबा 0.98 है0, 148 / 2 रकबा 0.17 है0, कुल किता 2 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम सुखनिवासपुरा में स्थित हैं।

अप्रार्थी नं0 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं0 144 रकबा 0.70 है0, 144 / 260 रकबा 0.09 है0, 146 रकबा 0.94 है0, 147 रकबा 0.08 है0 कुल किता– 4 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम सुखनिवासपुरा में स्थित है।

तहसील टोडारायसिंह में हाल ही में सेटलमेन्ट (सेग्रीगेशन) का कार्य हुआ हैं। जिसमें आप्रार्थी नं0 1 के खसरा नं. 147 रकबा 0.08 है0 डोट–डोट लाईन बीच व खसरा नं0 146 के नीचे दर्ज था जिसको पूर्व सीट में पट्टीनुमा रिक्त स्थान जो 0.75 है0 के लगभग है के बीच हाल खसरा नं0 147 अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी के नम्बरान को रिक्त स्थान सेग्रीगेशन (रि–सेटलमेन्ट) में हुई सीट तरभीम मे गलत रूप से अंकित कर दिया।

साबिक खसरा नम्बरान की सीट में प्रार्थीगण के हाल खसरा नं0 148, 149, 150, 151, 152, 152 / 250 के साबिक खसरा नं0 142, 143, 144, 145, 189, 190, 191, 192, 139, 140, 141 थे जो अप्रार्थी नं0 1 के साबिक खसरा नं0 136, 137, 138, 135, 146, 147 के लगवा थे। पट्टीनुमा नही थी साबिक बन्दोंबस्त मोमियां ट्रेस सन् 195[illegible] के अनुसार बनाई थी लेकिन उक्त नम्बरान सेटलमेन्ट द्वारा लागू नही किये गये [illegible] में नीले रंग से दर्शाये नम्बर हैं। उसको लागू न कर साबिक ट्रेस में [illegible] लागू किया गया है। जिससे प्रमाणित है, जिसमें पट[illegible] जिसकी साबिक ट्रेस को परि0 ए–1 के रूप में है। व बाद [illegible] जिसमें प्रार्थीगण की खातेद[illegible] उत्तरी और लम्बी पट्टीनुमा मे बिना नम्बर डाले हुई है। जिस[illegible] नक्शा ट्रेस ए–2 के रूप मे [illegible] सेग्रीगेशन मे हाल ही मे बनाई गई सीट प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] पर खाली रिक्त स्थान पर [illegible] नं0 147 नम्बर डालकर बनाई गई है। जो ए–3 के रूप मे प्रा0 पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

टोडारायसिंह में सम्वत् 2039–2042 के बाद सेटलमेन्ट का कार्य चालू हुआ हैं। सेटलमेन्ट अधिकारियों को साबिक सीट में दर्ज खेतों के अनुसार ही हाल सीट बनाकर व प्रार्थीगण व अप्रार्थी के खातेदारी के रकबे के अनुरूप सीट में रकबा दर्ज करने का सेटलमेन्ट नियमों के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त था। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना प्रार्थीगण को सुने व बिना मौका देखे ही प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रकबे के अनुसार सीट न बनाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के उत्तरी और काफी लम्बी पट्‌टीनुमा बिना खसरा नं0 दर्ज किये हीं सीट बना दी। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को सीट पट्‌टीनुमा रिक्त स्थान में खसरा नम्बरान का अंकन करना चाहिए था। सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रकबा को सीट में कम दर्ज कर पट्‌टीनुमा रिक्त स्थल बिना नम्बरी बना दिया जो सेटलमेन्ट नियमों के विरूद्ध हैं। प्रार्थीगण नं0 1 ल0 5 के खसरा नं0 150 का रकबा खातेदारी में 1.34 है0 लेकिन सीट का रकबा बरारी करने पर 1.22 है0 ही होती हैं। व प्रार्थी नं0 5 ल0 10 के नाम दर्ज खसरा नं0 151 खातेदारी में 0.36 है0 जो सीट में रकबा बरारी करने पर 0.35 है0 व खसरा नं0 152 का रकबा खातेदारी में 0.32 है0 व सीट में रकबा बरारी करने पर 0.37 है0 व खसरा नं0 152/250 रकबा खातेदारी 0.37 है0 सीट में रकबा बरारी करने पर 0.28 है0 अर्थात तीनो नम्बरान का कुल रकबा 1.05 है0 व रकबा बरारी करने पर कुल 1.00 है0 ही होता हैं। प्रार्थी नं0 11 की खातेदारी में दर्ज खसरा नं0 149 रकबा 0.98 है0 सीट में रकबा बरारी करने से 0.86 है0 व खसरा नं0 148/2 रकबा 0.17 है0 सीट में रकबा बरारी करने पर 0.18 है0 अर्थात अप्रार्थी नं0 11 कुल रकबा 1.15 है0 दर्ज हैं। जो सीट का रकबा बरारी करने पर 1.04 है0 ही बैठता हैं। अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज खसरा नं0 144 का रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 144/260 का रकबा 0.09 है0 कुल 0.79 है0 जो रकबा बरारी करने से 0.96 है0 व खसरा नं0 146 रकबा 0.94 है0 सीट का रकबा बरारी करने पर सीट में (डोट) लाईन को मिलाते हुये कुल रकबा 1.00 है0 व खसरा नं0 147 रकबा 0.08 है0 व सीट में रकबा बरारी करने पर हाल सीट में (डोट) (डोट) लाईन से हाल खसरा नं0 को हटाकर प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा कम कर रिक्त स्थान पर खसरा नं0 147 दर्ज किया गया हैं। जिसका रकबा बरारी करने पर लगभग 0.75 है0 रकबा सीट में हैं। जबकि सेग्रीगेशन पूर्व सीट परि0 ए–2 में (डोट) (डोट) खसरा नं0 146 के दक्षिणी और डोट – डोट लाईन के मध्य रकबा 0.08 है0 होता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज कुल रकबा 1.81 है0 के मुकबले सीट में रकबा 2.71 है0 है। इस प्रकार अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी में दर्ज रकबे से सीट में ज्यादा रकबा कर दिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों का रकबा खातेदारी के रकबे से सीट में रकबा कम कर दिया। परि0 ए–2 में प्रार्थीगण की खातेदारी के उत्तरी और काफी लम्बी पट्‌टी नुमा बिना नम्बरी सीट में दर्ज कर दी जबकि उक्त पट्‌टीनुमा स्थल प्रार्थीगण की खातेदारी के रकबे को मिलाकर सीट अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी के लगवा तक सीट में शामिल कर खातेदारी दर्ज कर सीट बनानी चाहिए थीं।

अप्रार्थी उसके खातेदारी रकबो की सीट में रकबा अधिक होने की वजह से वह प्रार्थीगण को उनके खातेदारी के रकबो में अनावश्यक दखल देता हैं। बैजाभजाहमत की धमकिया देता हैं। इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीयान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें की वे प्रार्थीण के खातेदारी के उत्तरी और आराजियात खसरा नं0 147 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सुखनिवासपुरा जो परि0 ए–2 स्थल पट्‌टीनुमा में बेजाहस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थी को फसल बोने काटने से मना न करें। व ए–2 स्थल पर अप्रार्थी नं0 1 फसल काश्त कर प्रार्थीगण के कब्जे में बैजाभजाहमत नहीं करें। अन्तरण–बैचान नहीं करें। खुर्द–बुर्द नहीं करें। मौका व राजस्व रिकार्ड के यथा स्थिति कायम रखी जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गयी। अप्रार्थी नं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाहीं एक तरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी नं0 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नक्शा ट्रेस खसरा नं0 147 की दोनो नकल से तुलना करने पर पाया गया कि सेग्रीगेशन से पूर्व की नक्शा सीट में खसरा नं0 147 का अंकन खसरा नं0 146 के ठीक दक्षिण में स्थित डोटेड़ रास्ता नुमा खेत में हो रखा हैं। जिसका रकबा 0.08 है0 जो उक्त डोटेड रास्तानुमा खेत के अनुरूप ही बैठता है, यह खसरा नं0 147 बजरंगा पुत्र सूज्या जाति गूजर की खातेदारी में दर्ज हैं। सेग्रीगेशन के बाद खसरा नं0 147 का अंकन उपरोक्त डोटेड रास्तानुमा खेत को छोड़कर उसके ठीक दक्षिण में स्थित रास्तानुमा खेत में सहवन से हो गया हैं। जिसमें सेग्रीगेशन से पूर्व किसी खसरा नं0 का अंकन नहीं था तथा इसका रकबा भी 0.08 है0 की तुलना में काफी अधिक हैं। इससें खसरा नं0 147 के खातेदार को अनावश्यक लाभ हुआ हैं। इस प्रकार मुताबिक सेग्रीगेशन से पूर्व भी नक्शा सीट के खसरा नं0 का अंकन वापस खसरा नं0 अधिक हैं। इस खसरा नं0 146 के ठीक दक्षिण वाले डोटेड़ रास्तानुमा खेत में ही किया जाना उचित हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल [illegible] 2073–2076 वाके ग्राम सुखनिवासपुरा खतौनी संख्या 3, 50, 35, 36,46 [illegible] सीट, हाल सीट, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबंदी खतौनी संख्या 25, 9, 28, 30, 18 [illegible] 2039 से 2042, जमाबंदी सम्वत 2027 से 2030 खाता संख्या 6, 8, 20 , 21, 22 रिपोर्ट [illegible] की नकलें पेश किये।

बहस अभि0 प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार सुनी गई। जो [illegible] रूप से प्रार्थना पत्र जवाब के अनुसार रहीं।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साबिक जमाबंदियात, साबिक नक्शा सीट तथा हाल जमाबंदी तथा नक्शा सीट तथा जवाब से बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि सेग्रीगेशन से पूर्व की नक्शा सीट में खसरा नं0 147 का अंकन खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

146 के ठीक दक्षिण में स्थित डोटेड लाईन रास्तानुमा खेत में हो रखा है। जिसका रकबा 0.08 है0 जमाबंदी में दर्ज हैं। जो उक्त डोटेड रास्तानुमा खेत के अनुरूप ही बैठना जाहिर है। उक्त खसरा नं0 अप्रार्थी बजरंगा के खातेदारी में दर्ज हैं। जिसकी वजह से उसके द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अनावश्यक रूप से किया जाना जाहिर हैं। सेट्रीगेशन के बाद खसरा नं0 147 का अंकन उपरोक्त डोटेड रास्तानुमा खेत को छोड़कर उसके ठीक दक्षिण में स्थित रास्तानुमा खेत में सहवन से होना स्वयं अप्रार्थी नं0 2 के जवाब से जाहिर हैं। वे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रहे हैं। खसरा नं0 147 का रकबा खातेदारी में 0.08 है0 जबकि सीट के अवलोकन से रकबा काफी अधिक होना जाहिर है। सीट में रकबा काफी अधिक होने से ही अप्रार्थी द्वारा अनावश्यक दखल देना जाहिर हैं। यदि अप्रार्थी को दावे के निर्णय तक पाबन्द नहीं किया जाता हैं। तो वह उक्त खसरा नं0 147 की आबादी को कभी भी खुर्द बुर्द कर सकता हैं। अन्तरण कर सकता हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना भी साबित है। प्रार्थीगण का जो दावा है वह घोषणा तरमीम दुरूस्ती, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का हैं। तरमीम दुरूस्त होने या न होने के संबंध में तो उभय पक्ष की साक्ष्य के बाद वाद में ही तय होगा। लेकिन उससे पहले ही यदि अप्रार्थी उसके नाम कागजी अंकन के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की स्थिति मे व्यर्थ में मुकदमें बाजी को बढ़ावा मिलेगा। प्रार्थीगण का केश प्रथम दृष्टा साबित हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीण के पक्ष में ही हैं। तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होना साबित हैं। एसी स्थिति एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को दावें के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना ही उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.08.2021 को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner